(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रोहिताश सिंह बनाम भूमिधारी व अन्य

मु0नं0 202 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

दमा	प्रार्थना पत्र 128 हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 ता 6 की ओर से श्री धर्मवीर यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी वकील जवाब पेश नही करना चाहते है तथा पत्थरगढी हेतु सहमत है, अपने हस्ताक्षर किये। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना भूमि **खसरा नं. 2562 रकबा 3.29 हैक्ट0** प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(हस्तलिखित, दाहिना स्तम्भ:) पत्थरगढ़ी हेतु सहमत है

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:27:15 IST
Reason: SelfAttested

... 2024
निर्णय दिनांक 14.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा

Scanned with OKEN Scanner

नं. 2562 रकबा 3.29 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान व
सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनां
03.05.2024 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार व
कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलद
नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुम
नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:27:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner